राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	साधा बनाम बन्नाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 4 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुए खसरा नम्बर 488/1173 व 491/0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम घासीपुरा में किसी प्रकार का कब्जा या पक्का निर्माण नही किये जाने के आदेश पारित किये गये	अप्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में नीव खोदकर पक्की दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया, प्रार्थी के मना करने पर वे प्रार्थी को मारने पर उतारू हो गये तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 24/08/2004 को रात व दिन लगाकर पक्की दीवार का निर्माण कर दिया , जो कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है	अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05/08/2004 की अवेहलना की है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अवमानना प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/03/2010 पारित करते हुये आराजी खसरा नम्बेर 491 वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा पर मुताबिक रिपोर्ट मौका कमिश्नर दिनांक 27/08/2004 के सलग्न नजरी नक्शे में दर्शाए गये अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण को अपने खर्चे से हटवाया जाना धारित करते हुये अवैध अतिक्रमण को अप्रार्थीगण को हटा लिए जाने के आदेश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/03/2010 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर आज उभयपक्षों की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार से स्थगन से पूर्व के निर्माण एवं स्थगन के पश्चात के निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट लिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है	किसी भी राजस्व न्यायालय के आदेश की अवमानना के प्रकरण में सन्दर्भित भूमि जिसके सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है से पूर्व एवं पश्चात की		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	साधा बनाम बन्नाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौके व निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट लैण्ड होल्डर से प्राप्त किये जाने के उपरान्त विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जाना सुलभ एवं न्यायोचित्त होता है | ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट के आधार पर सरसरी तौर पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05/03/2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उल्लेखित आदेश के पूर्व एवं पश्चात के मौके व निर्माण के सन्दर्भ में तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर